

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नि.स./अ0नि0(ग्रा0स्वा0)/2020/33

दिनांक : 11.03.2020

:: कार्यालय आदेश ::

निर्देशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य के अधीन संचालित समस्त अनुभाग में कार्यरत/पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आज दिनांक से अग्रिम आदेशों तक सभी राजपत्रित अवकाशों पर भी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

(डा0 रवि प्रकाश शर्मा)
अति0 निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नि.स./अ0नि0(ग्रा0स्वा0)/2020/33

दिनांक : 11.03.2020

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
4. सयुक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.), मुख्यालय।
5. राज्य नोडल अधिकारी (आई.डी.एस.पी.), मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त अनुभाग (आई.डी.एस.पी./मलेरिया/खाद्य सुरक्षा/आई.डी.डी./वी.एस.ओ./आपदा प्रबन्धन/सी.डी.), ग्रामीण स्वास्थ्य, मुख्यालय, जयपुर।
7. प्रभारी, नियंत्रण कक्ष (कोरोना), मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश संबंधित को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर